सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 23.07.2024

एटीएम से छेड़खानी कर धोखाधड़ी से रूपये निकालने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से छेड़खानी में प्रयुक्त उपकरण किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना जसवंतनगर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.07.2024 को वादी अनूप कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम बीनामऊ थाना सिढ़पुरा जनपद कासगंज द्वारा थाना जसवंतनगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी जिसके द्वारा कस्बा जसवंतनगर मोहल्ला लुधपुरा स्थित एसबीआई एटीएम का रखरखाव किया जाता है। दिनांक 21.07.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त एटीएम में छेड़छाड़ की गयी जिससे एटीएम का शटर छतिग्रस्त हो गया। सूचना पर तत्काल थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 303(2)/324(4)/324(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं धोखाधडी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 22/23.07.2024 की रात्रि को थाना जसवंतनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान सुघर सिंह विद्यालय के पास स्थित एटीएम में 01 व्यक्ति छेड़छाड़ करता हुआ दिखायी दिया, जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा समय 01.45 बजे सुघर सिंह विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः

पकड़े गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 05 एटीएम कार्ड, 03 काली प्लास्टिक की पट्टी टेप लगी, 01 प्लास, 01 पेचकस, 01 कटर, 01 टेप, 08 चाबी, 01 बस टिकट, 01 इन्क्वारी एटीएम पर्ची बरामद की गयी। जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह एटीएम मशीन में प्लास्टिक की काली पट्टी में टेप लगाकर जनता के लोगो के एटीएम पासवर्ड देखकर रुपयों की चोरी करता है।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2024 धारा 303(2)/324(4)/324(5) बीएनएस में धारा 317(2)/318(4) बीएनएस कि बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम इटौरा थाना मटसेना जनपद फिरोजाबाद **उम्र 45 वर्ष**।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 303(2)/324(4)/324(5)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 27/2024 धारा 419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बमरौली जनपद आगरा कमिश्नरेट।
2. मु0अ0सं0 157/2024 धारा 303(2)/324(4)/324(5)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. **05 एटीएम कार्ड**
2. **03 काली प्लास्टिक की पट्टी टेप लगी।**
3. **01 प्लास**
4. **01 पेचकस**
5. **01 कटर**
6. **01 टेप**
7. **08 चाबी**
8. **01 बस टिकट**
9. **01 इन्क्वारी एटीएम पर्ची।**
10. **350 रु0 नकद (धोखाधड़ी से निकाले हुए)**

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री रामसहाय सिंह प्रभारी थाना जसवंतनगर, उ0नि0 सन्त कुमार, का0 शुभम पवांर, का0 मनीष कुमार।